# राजस्थान सरकार
## सामान्य प्रशासन(ग्रुप–2)विभाग

क्रमांकः–प. 16(1)साप्र/2/22 पार्ट जयपुर, दिनांक : 29/06/22

–: आदेश :–

श्री कैलाश चन्द्र परेवा, सहायक अनुभागाधिकारी, तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर जिनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31.07.2022 को है इन्हें राजकीय आवास संख्या 5–सी–9, बहुमंजिला, गांधीनगर, जयपुर आवंटित है। श्री कैलाश चन्द्र परेवा ने अपनी पुत्र श्री पंकज कुमार परेवा, जो कि जो कि राजकीय सेवा में सहायक सांख्यिकी अधिकारी, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, योजना भवन, जयपुर (हाल पदस्थापन–राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि. नेहरू सहकार भवन जयपुर) में पदस्थापित है, को राजकीय आवास संख्या 4–बी–6, बहुमंजिला, आवंटित करने की प्रार्थना की है।

श्री पंकज कुमार परेवा पुत्र श्री कैलाश चन्द्र परेवा, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, योजना भवन, जयपुर (हाल पदस्थापन–राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि. नेहरू सहकार भवन जयपुर) जिनकी चतुर्थ श्रेणी की वरियता संख्या 512/2016 एवं सेवानिवृत्ति दिनांक 31.07.2052 है, को श्री कैलाश चन्द्र परेवा की सेवानिवृत्ति के उपरान्त राजकीय आवास आवंटन नियम 1958 के नियम–18 वर्णित प्रावधानानुसार इनकी चतुर्थ श्रेणी आवास की पात्रतानुसार राजकीय आवास संख्या 4–बी–6, बहुमंजिला, गांधीनगर को नियमानुसार किराये पर श्री पंकज कुमार परेवा, सहायक सांख्यिकी अधिकारी के नाम से निम्न शर्तों के आधार पर एतद्द्वारा आवंटन किया जाता हैः–

शर्तें :–

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने/क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी–चूँकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ııı)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगीः–
   1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
   2. आवेदन प्रस्तत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्ते भी मान्य होगी।
9. श्री पंकज कुमार परेवा से कॉमन सुविधा शुल्क के पेटे राशि रूपये 150/–(अक्षरे एक सौ पचास रूपये मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा कराने होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(शैली किशनानी)
विशिष्ठ शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (ख–1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
5. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
6. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर– कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
7. श्री कैलाश चन्द्र परेवा, सहायक अनुभागाधिकारी, तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है आवास संख्या 5–सी–9, बहुमंजिला, गांधीनगर को दिनांक 31.07.22 के बाद आवश्यक रूप से रिक्त कर विभाग को सूचित करें।
8. सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड–तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात् ही आवण्टन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
10. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर जयपुर।
11. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
12. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, गाँधीनगर, जयपुर–कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड पर चस्पा करावें साथ ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवाये।
13. श्री पंकज कुमार परेवा पुत्र श्री कैलाश चन्द्र परेवा, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, योजना भवन, जयपुर (हाल पदस्थापन–राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि. नेहरू सहकार भवन जयपुर) को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड–तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को सम्मलवाने के पश्चात् ही कब्जा प्राप्त करेंगे।
14. निजी सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
15. रक्षित पत्रावली।

विशिष्ठ शासन सचिव